

न्यायालय राजनगर मण्डल, कृष्यप्रदेश खालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक	R 1545 -PBR / 2013	जिला	पक्षकारी अभिभाषक
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश		
16-7-2014	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-7-2012 की सत्य प्रतिलिपि ही प्रयत्नकम किया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी गया से यह स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा तहसीलदार के अंतिम आदेश दिनांक 20-7-2012 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है । उसके द्वारा निगरानी सीमांकन पंचनामा दिनांक 18-6-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित होता है । चूंकि तहसीलदार द्वारा दिनांक 20-7-2012 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः सीमांकन पंचनामा के विरुद्ध प्रस्तुत यह निगरानी प्रथम ग्राह्य योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से पंचनामा प्रतिवेदन दिनांक 18-6-2012 के विरुद्ध यह निगरानी 3-4-2013 को 6 माह से भी अधिक दिनों से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा दिनांक 8-8-2012 को आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई है । अतः अग्रहण किया जाता है कि सीमांकन की जानकारी आवेदक की नहीं थी । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्रहण की जाती है ।</p>		
			(स्वदीप कुमार) अध्यक्ष